पत्रांक–बाढ़(मो0)सिं0–10/2005 (अंश–XI)–

**बिहार सरकार**

**जल संसाधन विभाग**

## –: आदेश :–

पटना, दिनांक–

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बागमती नदी के दोनों किनारे तटबंध निर्माण योजना के विरूद्व किये जा रहे धरना प्रदर्शन एवं विरोध, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आलेख, माननीय बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा दिये गये आवेदन तथा इंडिया वाटर पोर्टल हिन्दी में "बागमती तटबंध गैरजरूरी और नुकसानदेह भी" शीर्षक से प्रकाशित आलेख के आलोक में बागमती तटबंध निर्माण योजना की समीक्षा हेतु एक समीक्षा समिति का निम्नवत् रूप में गठन किया जाता है :–

1. **समिति का स्वरूप** :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | श्री ज्वाला प्रसाद, सेवानिवृत मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार | :– | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री सच्चिदा नन्द तिवारी, सेवानिवृत निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग | :– | सदस्य |
| (iii) | श्री एल.पी.सिंह, निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना | :– | सदस्य |
| (iv) | डॉ० राजीव सिन्हा, विभागाध्यक्ष, भू–विज्ञान, आई.आई.टी., कानपुर | :– | सदस्य |
| (v) | श्री ओम प्रकाश, सहायक प्राध्यापक, असैनिक अभियंत्रण विभाग, आई.आई.टी., पटना | :– | सदस्य |
| (vi) | श्री रामाकार झा, प्राध्यापक, असैनिक अभियंत्रण विभाग, एन.आई.टी., पटना | :– | सदस्य |
| (vii) | श्री अनिल प्रकाश, राष्ट्रीय संयोजक, गंगा मुक्ति आंदोलन | :– | सदस्य |
| (viii) | श्री दिनेश कुमार मिश्र, जल संसाधन विशेषज्ञ | :– | सदस्य |
| (ix) | मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर | :– | संयोजक |

2. उक्त समीक्षा समिति को अधिकत्तम दो विशेष आमंत्रित सदस्यों को बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार होगा ।

3. **समिति का कार्यकाल** :–
   समिति का कार्यकाल, समिति के गठन की तिथि से एक माह होगी। समिति को निर्धारित टी.ओ.आर. के बिन्दुओं पर प्रतिवेदन एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।

4. **समिति का टी.ओ.आर.** :–
   (i). बागमती नदी से उत्पन्न बाढ़ की विभीषिका से जनमानस के प्रभावित होने की समस्या ।
   (ii). बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत तटबंध निर्माण की आवश्यकता ।
   (iii). बागमती नदी पर तटबंध निर्माण के उपरान्त क्षेत्र के जन–जीवन पर प्रभाव का आकलन ।
   (iv). बागमती तटबंध निर्माण योजना से विस्थापितों के आंदोलन के संबंध में सुझाव ।
   (v). बागमती तटबंध निर्माण योजना के पूर्ण होने के उपरान्त क्षेत्र की स्थिति में होने वाले परिवर्त्तन के संबंध में प्रतिवेदन ।
   (vi). पूर्व में निर्मित बागमती तटबंध के कारण क्षेत्र के Cropping Pattern, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्त्तन के संबंध में प्रतिवेदन ।
   (vii). अन्यान्य बिन्दु ।

5. समिति की बैठक आयोजित करने हेतु स्थल का चयन अध्यक्ष के परामर्श से संयोजक द्वारा किया जायेगा एवं समिति की बैठक में भाग लेने हेतु सदस्यों के परिवहन, आवासन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था संयोजक के स्तर से की जायेगी ।

Y Singh
27.04.17

(योगेश्वर धारी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–बाढ़(मो0)सिं0–10/2005 (अंश–XI)– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/अभियता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/ सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/समीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(योगेश्वर धारी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक–बाढ़(मो0)सिं0–10/2005 (अंश–XI)– 1735 पटना, दिनांक– 27/4/17

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Y. Singh 27.04.17
(योगेश्वर धारी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक–10/वि०स०आ०–43/13–

बिहार सरकार